2022-23

के संबंध में
केन्द्रीय सरकार के व्यय
के लिए
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS

for

EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

RELATING TO

2022-23

संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) के अनुसरण में लोकसभा में प्रस्तुत
Presented to the Lok Sabha in pursuance of clause (1) (b) of Article 115 of the Constitution

[राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अधीन आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है]

[The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(b) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained]

अगस्त /August, 2026

प्रस्तावना टिप्पणी

इस खंड में निहित अतिरिक्त अनुदानों की मांगें वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ मांगो के तहत किए गए वास्तविक व्यय का प्रतिनिधित्व करती हैं जो उस वर्ष के लिए संसद द्वारा दी गई राशि से अधिक हैं।

2. वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त व्यय 1 अनुदान (प्रभारित) और 1 विनियोजन में हुआ, जो कुल ₹ 54067,45,93,231 था।

3. संबंधित मांगों/विनियोजनों में अधिक व्यय के कारणों को इस पुस्तिका में निहित अतिरिक्त मांग विवरणों में स्पष्ट किया गया है।

4. उपरोक्त अतिरिक्त व्यय की संवीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा गई है, जिसने उनतालीसवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के भाग-II के पैराग्राफ 9 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अधीन उन्हें विनियमित करने की सिफारिश की है।

INTRODUCTORY NOTES

The Demands for Excess Grants contained in this Volume represent the actual expenditure incurred during FY 2022-23 under certain Demands which are in excess of the amounts granted by the Parliament for that year.

2. The excess expenditure during 2022-23 occurred in 1 Grant (charged) and 1 Appropriation amounting to a total of ₹ 54067,45,93,231.

3. The reasons for excess expenditure in respective Demands/ Appropriations have been explained in the Excess Demand Statements contained in this booklet.

4. The above excess expenditure has been scrutinised by the Public Accounts Committee, who, vide paragraph 9 of Part-II of Thirty Ninth Report (Eighteenth Lok Sabha), has recommended their regularisation under Article 115(1)(b) of the Constitution of India.

वर्ष 2022-2023 के दौरान संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों/विनियोजनों से हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing the expenditure incurred in excess of the Grants Voted/Appropriations made by Parliament during 2022-2023

	मांग की संख्या और शीर्षक		No. & Title of Demand			अंतिम अनुदान/विनियोजन Final Grant/ Appropriation ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess Expenditure ₹	पृष्ठों का संदर्भ Ref. to pages
	पूंजी से पूरा किया गया व्यय		**EXPENDITURE MET FROM CAPITAL**						
40	ऋण का पुनर्भुगतान	*प्रभारित* 40	Repayment of Debt	*Charged*		*7145830,12,00,000*	*7199701,12,96,887*	*53871,00,96,887*	1
85	रेल मंत्रालय	*प्रभारित* 85	Ministry of Railways	*Charged*		*980,00,00,000*	*1176,44,96,344*	*196,44,96,344*	2
	कुल पूंजी		**TOTAL Capital**			**7146810,12,00,000**	**7200877,57,93,231**	**54067,45,93,231**	
		प्रभारित		*Charged*		*7146810,12,00,000*	*7200877,57,93,231*	*54067,45,93,231*	

संख्या NO. 40 (विनियोजन) (APPROPRIATION)

ऋण का पुनर्भुगतान
REPAYMENT OF DEBT

वित मंत्रालय के तहत **ऋण का पुनर्भुगतान** के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक खर्च की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2023, in respect of **REPAYMENT OF DEBT** under **MINISTRY OF FINANCE.**

प्रभारित (पूंजी): तिरेपन हजार आठ सौ इकहत्तर करोड़ छियानवे हजार आठ सौ सत्तासी रुपये

Charged (Capital): Fifty three thousand eight hundred seventy one crore ninety six thousand eight hundred eighty seven rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
पूंजी Capital			
प्रभारित Charged	*7145830,12,00,000*	*7199701,12,96,887*	*53871,00,96,887*

वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त किए गए ₹ 70762,96,00,000 के कुल अनुपूरक विनियोजन के माध्यम से मूल विनियोजन ₹ 7075067,16,00,000 को बढ़ाया गया था। ₹ 7145830,12,00,000 के अंतिम विनियोजन की तुलना में, वास्तिवक व्यय ₹ 7199701,12,96,887 था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53871,00,96,887 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसके लिए विनियमितीकरण अपेक्षित है। अतिरिक्त व्यय निम्नलिखित कारणों से हुआ

(i) वित्त वर्ष 2022-23 के समापन माह/अंतिम कुछ दिनों में राज्य सरकारों द्वारा 14-दिवसीय टी-बिल(आईटीबी) (₹7,66,649,32,00 हजार) में जमा उनके अधिशेष नकद शेष से निकासी की अधिक मात्रा। राज्य सरकारें अपने अधिशेष नकद शेष को 14 दिवसीय के टी बिलों में रखने और समय से पहले निकासी करने के लिए भी स्वतंत्र है;

(ii) विशेष प्रतिभूतियों के रुपांतरण में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान (₹8,672,04,00 हजार)। खातों के इस शीर्ष के तहत अनुमान पहले 'बाजार ऋण' के तहत अनुमानों के साथ मिश्रित थे;

(iii) विनिमय दर में भिन्नता (₹1,163,32,11 हजार);

(iv) परिपक्व/समय-पूर्व मोचन के लिए निवेशकों द्वारा दावों को दर्ज करना (₹104,73,28 हजार);

(v) पीएलआई (₹ 40 हजार) के तहत शेष राशि के प्रतिभूतिकरण के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान; तथा

(vi) 364 - दिनों के ट्रेजरी बिलों का पुनर्भुगतान (₹ 20 हजार)।

उपर्युक्त अतिरिक्त की भरपाई विभिन्न अन्य उप-शीर्षों के तहत ₹ 7,22,718,41,01 हजार की बचत से की गई, जिससे ₹ 53,871,00,97 हजार से अधिक की राशि प्रदान की गई। यह उल्लेख किया जा सकता हैं कि ऋण का पुनर्भुगतान,"निवल शून्य" मांग होने के कारण, उपरोक्त का कोई राजकोषीय निहितार्थ नहीं हैं।

The Original Appropriation of ₹ 7075067,16,00,000 was augmented by a total Supplementary Appropriation of ₹ 70762,96,00,000 obtained in financial year 2022-23. Against the Final Appropriation of ₹ 7145830,12,00,000 the actual expenditure was ₹ 7199701,12,96,887 resulting in an excess expenditure of ₹ 53871,00,96,887 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to

(i) Higher volume of withdrawals by the State Governments in the closing month/ last few days of the FY 2022-23 from their surplus cash balance parked in 14-day T-bills (ITBs) (₹ 7,66,649,32,00 thousand). State Governments are free to park their surplus cash balance in 14- day T Bills and also to withdraw prematurely;

(ii) Repayment of Marketable Securities issued in conversion of Special Securities (₹8,672,04,00 thousand). Estimates under this head of accounts were previously inter-mixed with estimates under the Head of Accounts 'Market Loans';

(iii) Exchange rate variation (₹ 1,163,32,11 thousand);

(iv) Lodgement of the claims by the investors for matured/ pre-mature redemption (₹ 104,73,28 thousand);

(v) Repayment of Special Securities issued against securitisation of balances under PLI (₹ 40 thousand); and

(vi) Repayment of 364-Days Treasury Bills (₹ 20 thousand).

The above-mentioned excess was offset by savings of ₹ 7,22,718,41,01 thousands under various other sub-heads leading to grant excess of ₹ 53,871,00,97 thousands. It may be mentioned that Repayment of Debt, being a "Net Zero" demand, the above does not have any fiscal implication.

मांग संख्या DEMAND NO. 85

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

रेल मंत्रालय के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2023, in respect of **MINISTRY OF RAILWAYS.**

प्रभारित (पूंजी) : एक सौ छियानवें करोड़ चवालीस लाख छियानवे हजार तीन सौ चवालीस रुपये।

Charged (Capital): One hundred ninety six crore forty four lakh ninety six thousand three hundred forty four rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure	अतिरिक्त व्यय/ Excess
	₹	₹	₹
पूंजी Capital			
प्रभारित Charged	*980,00,00,000*	*1176,44,96,344*	*196,44,96,344*

वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त ₹ 882,00,00,000 के कुल अनुपूरक विनियोजन को ₹ 98,00,00,000 के मूल विनियोजन से बढ़ाया गया था। ₹ 980,00,00,000 के अंतिम विनियोजन के तुलना में वास्तविक व्यय ₹ 1176,44,96,344 था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 196,44,96,344 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे विनियमितीकरण अपेक्षित है। अतिरिक्त व्यय अदालत द्वारा दिए गए भुगतानों के कारण किया गया था, जिसका पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता था।

The Original Appropriation of ₹ 98,00,00,000 was augmented by a total Supplementary Appropriation of ₹ 882,00,00,000 obtained in financial year 2022-23. Against the Final Appropriation of ₹ 980,00,00,000 the actual expenditure was ₹ 1176,44,96,344 resulting in an excess expenditure of ₹ 196,44,96,344 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to court-decreed payments which could not be anticipated earlier.